न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

वाद क्रमांक 2/18

हरिराम पुत्र स्वर्गीय आनन्दीलाल जाति माली नि0सांगोद तह0 सांगोद – **वादी**

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 आनन्दीलाल जाति माली निवासी सांगोद
2. स्व0 द्वारकालाल पुत्र स्व0 आनन्दीलाल जाति माली निवासी सांगोद जर्ये कायम मुकामान –
   - (ए) सुरेश पुत्र स्व0 द्वारकालाल
   - (बी) राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 द्वारकालाल
   - (सी) सुशीलाबाई पत्नि स्व0 द्वारकालाल
   - (डी) कृष्णाबाई पुत्री स्व0 द्वारकालाल
   - (ई) बिरधीबाई विधवा पत्नि स्व0 द्वारकालाल

   समस्त जाति माली निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सांगोद – **प्रतिवादीगण**

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक 15/6/2018

वादी हरिराम की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त वाद –पत्र में वादी द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के स्व0 पिता आनंदीलाल माली सांगोद के खाते की सांगोद में खसरा नं0 10 की 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 102 की 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 453 की 10 बिस्वा, खसरा नं0 455 की 9 बिस्वा, खसरा नं0 471 की 10 बिस्वा तथा खसरा नं0 82 की 3 बीघा 5 बिस्वा कुल 6 किता की 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि होना बताकर उक्त भूमि में तीनों भ्रातागण वादी एवं प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 का हिस्सा बराबर 1/3 होना अंकित किया है तथा उक्त आराजियात को तीनों भाईयों द्वारा आपसी पारिवारिक विभाजन कर दिनांक 27.06.1996 से ही निम्न प्रकार पृथक्– पृथक् काश्त कर रखा है –

(क) वादी हरिराम का हिस्सा –
ख0 नं0 82 की 3 बीघा 5 बिस्वा

(ख) प्रतिवादी नं0 – 1 जगदीश प्रसाद का हिस्सा –
खसरा नं0 452 की 10 बीघा, 455 की 9 बिस्वा, 471 की 10 बिस्वा, खसरा नं0 10 की 2 बीघा 15 बि0102 की 4 बीघा 6 बि0 में से 16 बि0 कुल 5 बीघा भूमि

/2/

(ग) प्रतिवादी नं0 – 2 द्वारकालाल का हिस्सा –

खसरा नं0 102 की 4 बीघा 6 बिस्वा में से 3 बीघा 10 बिस्वा उक्त पारिवारिक विभाजन के बाद प्रतिवादी नं0–1 जगदीश प्रसाद द्वारा उसके हिस्से में आई हुई भूमि मे से खसरा नं0 10 की 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि उसकी पारिवारिक आवश्यकता मुताबिक हफीज सींगीवाला सांगोद को विक्रय की जाने के बाद उसके हिस्से व कब्जे काश्त में शेष 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि शेष रही है। लेकिन गत सेटिलमेन्ट के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि के नये खसरा नम्बरान बनाकर वादी एवं प्रतिवादीगण नं0 – 1 व 2 को निम्न प्रकार से सहखातेदार दर्ज कर दिया गया है।

(क) वादी हरिराम के हिस्से की भूमि –

हाल खसरा नं0 1109 की 0.58 हेक्टर वादी हरिराम तथा प्रतिवादी नं0–1 जगदीश प्रसाद व प्रति0 नं0–2 स्व0 द्वारकालाल के वारिसान के सम्मिति खाते दर्ज है।

(ख) प्रतिवादी नं0–1 जगदीश प्रसाद के हिस्से की भूमि –

हाल खसरा नं0 645 की 0.02 हे0, 654 की 0.08 हे0, 665 की 0.02हे0, 687 की 0.08हे0, 891 की 0.12 हे0, कुल 7 किता की 0.35 हे0 भूमि पर वादी हरिराम हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी नं0–1 जगदीशप्रसाद हिस्सा 2/3 दर्ज है।

(ग) प्रतिवादी नं0–2 स्व0 द्वारकालाल के हिस्से की भूमि –

हाल खसरा नं0 886 की 0.53 हे0 भूमि पर वादी हरिराम हिस्सा 1/3 तथा द्वारकालाल हिस्सा 2/3 दर्ज होकर स्व0 द्वारकालाल के स्थन पर उसके वारिसान का नाम दर्ज है। उक्त तीनों खातों की नकल जमाबंदी वाद–पत्र के साथ सलंग्न है।

वादी द्वारा पारिवारिक विभाजन मुताबिक ही वादी एवं प्रतिवादीगण नं0–1 व 2 का उक्त कब्जे काश्त मुताबिक खाता विभाजन कराने हेतु प्रार्थना कर वादी एवं प्रतिवादीगण नं0–1 व 2 का पृथक्–पृथक् खाता कायम करने की प्रार्थना की गई है।

उक्त वाद पत्र का प्रतिवादीगण नं0–1 व 2 की ओर से जर्ये वकील नाथूलाल नागर एडवोकेट उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र की प्रार्थना के मुताबिक ही खाता विभाजित करने की प्रार्थना की गई है, तथा प्रतिवादी नं0–3 भूमिधारक तहसीलदार सांगोद की ओर से नायब तहसीलदार तहसील सांगोद उपस्थित होकर खाता विभाजन किये जाने में राज्य सरकार की ओर से कोई आपत्ति न होना आर्डरशीट पर अंकित कर दिया गया है।

वादी एवं प्रतिवादीगण नं0–1 व 2 की ओर से सभी पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लोक न्यायालय की प्रेरणा से लिखित राजीनामा भी प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा उक्त कुल भूमि खाता विभाजित करने की प्रार्थना की गई है। उक्त राजीनामा प्रपत्र भी नियमानुसार तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल है व साथ ही वादी हरिराम द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी वादग्रस्त भूमि को साक्ष्य में प्रदर्शित कराया गया है।

उपरोक्त विवरण के मुताबिक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक वादग्रस्त भूमियें का विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण नं.0–1 व 2 का पृथक्–पृथक् खाता कायम किये जाने से भूमिधारक तहसीलदार सांगोद की भी पूर्ण सहमति होने से दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम सांगोद के विभाजन की निम्न प्रकार अंतिम डिक्री पारित की जाती है –

1. राजस्व ग्राम सांगोद की खातौनी संख्या 274 की हाल खसरा नं0 1109 की 0.58 है0 भूमि को केवल वादी हरिराम के खाते दर्ज रखा जाकर उक्त खाते से प्रतिवादी नं0–1 जगदीश प्रसाद तथा प्रतिवादी नं0–2 स्व0 द्वारकालाल के वारिसान का नाम हटाया जावे।
2. राजस्व ग्राम सांगोद की खातौनी संख्या 275 की हाल खसरा नं0 886 की 0.53 हे0 भूमि को केवल स्व0 द्वारकालाल के वारिसान प्रतिवादीगण नं0–2 (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) के सम्मिलित खाते दर्ज रखी जाकर उक्त खाते से वादी हरिराम का नाम हटाया जावे।
3. राजस्व ग्राम सांगोद की खातौनी संख्या 202 की हाल खसरा नं0 645 की 0.02 हे0, 646 की 0.03 हे0, 654 की 0.08 हे0, 665 की 0.02हे0, 687 की 0.08हे0, 891 की 0.12 हे0, कुल 6 किता की 0.35 हे0 भूमि पर प्रतिवादी नं0–1 जगदीश प्रसाद को तनहा खातेदार दर्ज रखा जाकर उक्त खाते से हरिराम का नाम हटाया जावे, तद्नुसार तीनों खातों में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त निर्णय मुताबिक कुंल वादग्रस्त भूमियों के विभाजन की अंतिम डिक्री बनाई जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जा0दी0)

अज अदालत – न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सॉगोद
बइजलास – श्री कमल कुमार मीणा, आर.ए.एस.

हरिराम पुत्र स्व. आनंदीलाल
जाति माली निवासी सॉगोद

– वादीगण

बनाम

जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 आनंदीलाल,
स्व0 द्वारकालाल पुत्र स्व0 आनंदीलाल
जरिये का0मु0– सुरेश,. राजेन्द्र कुमार पुत्र
सुशीलाबाई,कृष्णाबाई पुत्री, बिरधीबाई बेवा
द्वारकालाल माली, सॉगोद
राज0सरकार जर्ये तहसीलदार सॉगोद

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88, 89 व 53 रा0टी0एक्ट

मुकदमा नं. 02 / 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कमल कुमार मीणा आर.ए.एस. बहाजरी – रामप्रसाद नागर एडवोकेट मिनजानिब मुदई व – श्री नाथूलाल नागर एडवोकेट मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

राजस्व ग्राम सॉगोद की खतौनी सं0 274 की हाल ख.नं. 1109 की 0.58 हे.भूमि को केवल वादी हरिरामके खाते दर्ज रखा जाकर उक्त खाते से प्रतिवादी नं0 1 जगदीशप्रसाद तथा प्रतिवादी नं0 2 स्व0 द्वारकालाल के वारिसान का नाम हटाया जावे । खतौनी सं0 275 की हाल ख0नं0 886 की 0.53 हे0 भूमि को केवल स्व0 द्वारकालाल के वारिसान प्रतिवादीगण के सम्मिलित खाते दर्ज रखी जाकर उक्त खाते से वादी हरिराम का नाम हटाया जावे । खतौनी सं0 202 की हाल ख0नं0 645 की 0.02 हे0, 646 की 0.03 हे0, 654 की 0.08 हे0, 665 की 0.02 हे0; 687 की 0.08 हे0, 891 की 0.12 हे0 कुल 6 किता की 0.35 हेक्टर भूमि पर प्रतिवादी नं0–1 जगदीश प्रसाद को तनहा खातेदार दर्ज रखा जाकर उक्त खाते से वादी हरिराम का नाम हटाया जावे । तद्नुसार तीनो खातो में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई ।

मुहर

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी सॉगोद

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

मुदई	रूपया	मुदायलाह	रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा	–	स्टाम्प वकालतनामा	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	स्टाम्प अर्जी	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील पर	–
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	–
खर्चा गवाहान	–	फीस कमिश्नर	–
फीस कमिश्नर	–	बाबत इजराय हुकमनामा	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	मुतफर्रिक	–
मुतफर्रिक	–		
मीजान	–	मीजान	–